सिविल विविध

आर. एस. नरूला और एस. एस. संधावालिया न्यायमूर्ति के समक्ष

कुंदन लाल, याचिकाकर्ता

बनाम

संभागीय नहर अधिकारी और अन्य - उत्तरदाता

1966 की सिविल रिट संख्या 466

26 अगस्त, 1968

उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम (1873 का VIII) - धारा 20 - धारा 30-ए का दायरा - मौजूदा आउटलेट में कटौती, स्थानांतरण, बंद करने या खोलने के लिए आदेश - ऐसा आदेश - चाहे धारा 30-ए (एल) (ए) एडब्ल्यूएल (डी) या धारा 20 के तहत अधिकृत हो - राज्य सरकार अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए - क्या ऐसा आदेश पारित कर सकती है - धारा 30 बी (3) - क्या संशोधित रूप में डिवीजनल नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना अनुच्छेद 226 - याचिका को रिट याचिका में नहीं लिया गया है, बल्कि प्रत्युत्तर में लिया गया है - क्या विचार से इनकार नहीं किया जा सकता है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम की धारा 20 द्वारा नहर प्राधिकरणों को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक मौजूदा आउटलेट को बंद या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। धारा 20 किसी मौजूदा आउटलेट को खोलने या बंद करने या आकार में कमी करने के लिए अधिकृत नहीं करती है। उस धारा के अंतर्गत विचार किया जा सकने वाला एकमात्र दावा जल की आपूत के लिए है जिसे किसी मौजूदा जलमार्ग के माध्यम से व्यक्त किया जाना है। यह खंड एक नए वाटरकोर्स के निर्माण या आउटलेट के निर्माण, बंद या स्थानांतरण का उल्लेख नहीं करता है।

(पैरा 9 और 12)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 30-ए की उप-धारा (2) में यह अपेक्षा की गई है कि उप-धारा (1) के तहत तैयार की गई प्रत्येक योजना, अन्य मामलों के अलावा, मौजूदा वाटरकोर्स के संभावित पुनर्गठन के साथ आउटलेट के स्थल को निर्धारित करेगी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक योजना मौजूदा

जलमार्ग के पुनर्गठन के लिए प्रावधान कर सकती है और ऐसी योजना में आउटलेट की साइट को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इसमें आवश्यक रूप से आउटलेट की साइट, या मौजूदा वाटरकोर्स पर आउटलेट के साथ-साथ पुनर्संरेखण के प्रस्तावित स्थल पर वाटरकोर्स पर आउटलेट या आउटलेट की साइट शामिल होगी। इसलिए किसी आउटलेट को खोलने, बंद करने या स्थानांतरित करने या आकार में कमी करने की परिकल्पना अधिनियम की धारा 30-ए की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (डी) द्वारा स्पष्ट रूप से की गई है न कि धारा 20 के तहत।

(पैरा 12)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य विधानमंडल के पास संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के मद 17 के तहत जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 के साथ पढ़ा जाता है। ऐसा होने पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति जल आपूत, सिंचाई और नहरों के मामले तक फैली हुई है और इसका प्रयोग उन विषयों से संबंधित संपूर्ण क्षेत्र में संविधान द्वारा प्रदत्त तरीके से किया जा सकता है जो संसदीय विधान या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियमन के अंतर्गत नहीं आते हैं। चूंकि नहर पर एक आउटलेट के आकार में कमी, बंद करने और स्थानांतरित करने के मामलों को अधिनियम के किसी भी प्रावधान द्वारा नहीं निपटाया गया है, इसलिए राज्य तब एक आउटलेट के आकार को कम कर सकता है या इसे बंद कर सकता है या अनुच्छेद 162 के तहत अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे स्थानांतरित कर सकता है, इस क्षेत्र को कवर करने वाला कोई संसदीय कानून नहीं है। (Obitra dicta) (पैरा 13)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि किसी योजना की पूर्ण अस्वीकृति के खिलाफ संशोधन के लिए कोई आवेदन अधिनियम की धारा 30-बी की उप-धारा (3) के तहत नहीं होगा, लेकिन किसी भी संशोधन के अधीन किसी योजना को मंजूरी देने वाले आदेश से असंतुष्ट पक्ष को उस प्रावधान के तहत उपयुक्त नहर प्राधिकरण में जाने का अधिकार है।

(पैरा 25)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक याचिका को रिट याचिका में नहीं उठाया गया है, बल्कि विशेष रूप से हलफनामे-इन-प्रत्युत्तर में लिया गया है, जिसके जवाब में उत्तरदाता के पास पूर्ण नोटिस है, इस आधार पर विचार से इनकार नहीं किया जा सकता है कि याचिका को रिट याचिका में पहली बार नहीं उठाया गया था।

(पैरा 24)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि डिवीजनल

कैनाल ऑफिसर, सिरसा, उत्तरदाता संख्या 1 के 28 जुलाई, 1965 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी, परमादेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जैसी रिट जारी की जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से एच. एस. गुजराल और एम. एम. पुंछी, एएलडीवोकेट्स

उत्तरदाता संख्या 1 और 2 के लिए एच आर्यना के एडवोकेट आनंद सरूप और जेसी वर्मा शामिल हुए

उत्तरदाता 3 के लिए एम. एस. रत्ता, वकील

निर्णय

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय निम्नलिखित द्वारा दिया गया था:-

नरूला, न्यायमूर्ति- हम इन तीन अलग-अलग रिट याचिकाओं को इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाने का प्रस्ताव करते हैं क्योंकि जिस प्रमुख बिंदु के कारण उन्हें एक साथ सुनवाई के लिए रखा गया है, वह एक ही है, अर्थात्:

क्या 1873 के उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम संख्या VIII के तहत प्राधिकारियों को, जैसा कि बाद में समय-समय पर संशोधित किया गया है (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) किसी आउटलेट को एक बार स्वीकृत करने और नहर पर खोलने के बाद बंद करने या स्थानांतरित करने का कोई अधिकार क्षेत्र है।

(2) इन मामलों के निपटान के लिए एक मामले के तथ्यों को थोड़ा विस्तार से और अन्य मामलों की केवल एक संक्षिप्त तथ्यात्मक रूपरेखा पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसा कि मुख्य तर्कों को 1966 के सीडब्ल्यू नंबर 466 में संबोधित किया गया है - कुंदन लाई बनाम डिवीजनल नहर अधिकारी और 9 अन्य, उस याचिका को दायर करने के लिए प्रासंगिक तथ्यों का पहले सर्वेक्षण किया जा सकता है। कुंदन लाई याचिकाकर्ता के पास तहसील सिरसा के गांव पनिहारी में लगभग 150 एकड़ कृषि भूमि है। हिसार जिला, जिसे भाखड़ा मुख्य की सुखचैन वितरिका के रूप में जाना जाता है (इसके बाद प्रश्न में जलमार्ग के रूप में जाना जाता है) द्वारा सिंचित किया जा रहा है। अतीत में, याचिकाकर्ता के साथ-साथ सेठ नंद लाई और 7 अन्य - इस याचिका में उत्तरदाता संख्या 3 से 10 की भूमि - को विचाराधीन वाटरकोर्स पर साइट आरडी 116,375-आर पर लगाए गए आउटलेट से नहर के पानी के साथ खिलाया जा रहा था। "आर.डी." जलमार्ग या वितरिका के सिर से कम दूरी को दर्शाता है, जैसा कि मामला हो सकता है। दूरी का प्रतिनिधित्व करने वाले चित्र के अंत में 'R' अक्षर दर्शाता है कि आउटलेट दाईं ओर बनाया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता की कुछ भूमि उच्च स्तर पर थी, इसलिए

याचिकाकर्ता को 1965 से पहले के वर्षों में खरीफ मौसम के दौरान 112,000-आर बिंदु पर एक अस्थायी उपाय के रूप में एक अस्थायी शूट की अनुमति दी जाती थी। हालांकि पक्षकार इस सवाल पर सहमत नहीं हैं कि उत्तरदाता संख्या 3 से 10 के आवेदन पर कार्रवाई की गई थी या स्वत: संज्ञान लिया गया था, तथ्य यह है कि उक्त आउटलेट को उसके तत्कालीन मौजूदा स्थल से आरडी 116 पर एक बिंदु पर स्थानांतरित करने के लिए अधिनियम की धारा 30-ए के तहत एक योजना तैयार की गई थी। 750-आर। संबंधित जिला अधिकारी द्वारा मामले की जांच की गई। संबंधित नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता सहित सभी संबंधित पक्षों को योजना के नोटिस जारी किए गए थे। उप-विभागीय नहर अधिकारी, सिरसा ने 24 अप्रैल, 1965 को संबंधित पक्षों को सुना, 10 मई, 1965 को साइट का निरीक्षण किया, और 23 मई, 1965 को पार्टियों को एक और सुनवाई दी। याचिकाकर्ता ने आउटलेट को आगे नीचे की ओर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि इससे एक हिस्से की सिंचाई हो जाएगी। उसकी भूमि ऊपर की ओर पड़ी हुई बहुत कठिन है। अपने निर्णय में, दिनांक शून्य (अनुलग्नक 'ए' में प्रति) उप-विभागीय अधिकारी ने कहा: –

> "उपरोक्त परिस्थितियों में और स्थल निरीक्षण से यह निर्णय लिया गया है कि सिंचाई के हित में आरडी 116,375/आर से आरडी 116,750/आर में स्थानांतरण की सिफारिश की जाती है और अधिकांश लोग इस बदलाव के इच्छुक हैं। स्थानांतरण की पुष्टि की जा सकती है।"

(3) याचिकाकर्ता ने उप-विभागीय अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। 28 जुलाई, 1965 को संभागीय नहर अधिकारी, सिरसा, सिरसा मंडल के समक्ष अपील की सुनवाई में। याचिकाकर्ता ने इस आशय पर अपनी आपत्ति दोहराई कि उसके लिए विपरीत दिशा में पानी को उच्च स्तर तक ले जाना मुश्किल था और अगर आउटलेट को नए प्रस्तावित स्थल पर स्थानांतरित कर दिया गया, तो वह अपनी भूमि के एक हिस्से की सिंचाई करने में सक्षम नहीं होगा। याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया कि आउटलेट को मुसाहिबवाला और पिन्हारी गांवों की सामान्य सीमा पर एक बिंदु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। 28 जुलाई, 1965 के अपने आदेश (रिट याचिका के अनुलग्नक 'बी') द्वारा डिवीजनल नहर ने उप-विभागीय अधिकारी की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और योजना की पुष्टि करते हुए कहा: –

> "एस.डी.ओ. द्वारा प्रस्तावित साइट एक उच्च समोच्च पर है। श्री कुंदन लाल का क्षेत्र अवसाद में स्थित है और इसे 116,750 / R से कमांड किया जा सकता है। यह क्षेत्र श्री कुंदन लाल की कुल जोत के 10 प्रतिशत से भी कम है, जबकि अनुमेय आपूर्ति 62 प्रतिशत के लिए है। इसलिए एसडीओ के निर्णय की पुष्टि की जाती है।

(4) दो आदेशों (अनुलग्नक 'ए' और 'बी') की प्रतियां प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता ने उक्त दोनों आदेशों

को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत 10 मार्च, 1966 को इस अदालत का रुख किया। 11 मार्च, 1966 को अपने प्रस्ताव की सुनवाई के समय, इस मामले को दुआ, जे. और मेरे द्वारा एक डिवीजन, बेंच में एकमात्र प्रश्न के रूप में स्वीकार किया गया था, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा मौजूदा आउटलेट को स्थानांतरित करने के लिए अधिनियम के तहत नहर प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से संबंधित जोर देने की मांग की गई थी और यह सवाल बड़ी संख्या में रिट याचिकाओं में उठाया जा रहा था।

(5) याचिका को राज्य के साथ-साथ उत्तरदाता संख्या 3 की ओर से भी चुनौती दी गई है। उत्तरदाता नंबर 1, डिवीजनल कैनाल ऑफिसर ने अपना रिटर्न दाखिल किया है और उत्तरदाता नंबर 3 ने अपना अलग लिखित बयान प्रस्तुत किया है। 1966 के सीएम 4567 में अदालत की अनुमति के साथ, याचिकाकर्ता ने डिवीजनल नहर अधिकारी के लिखित बयान के जवाब में एक और प्रत्युत्तर दायर किया। यद्यपि प्रतिकृति में तथ्य के विभिन्न विवादित प्रश्न उठाए गए हैं, लेकिन वे इस विशेष मामले में उठाए गए विवाद में एकमात्र प्रश्न का निर्णय लेने के लिए सामग्री नहीं हैं।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री हरबंस सिंह गुजराल की प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, जिन्होंने हमें ऊपर उल्लिखित सामान्य प्रश्न पर संबोधित किया, अधिनियम की धारा 20 और धारा 30-ए (1) और (2) के प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है: –

> ''जब भी किसी नहर से पानी की आपूर्ति के लिए किसी संभागीय नहर अधिकारी को आवेदन दिया जाता है, और उसे यह प्रतीत होता है कि ऐसी आपूर्ति दी जानी चाहिए, और इसे किसी मौजूदा जलमार्ग के माध्यम से सूचित किया जाना चाहिए, तो वह ऐसे जलकूस के रखरखाव के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस देगा, ऐसे नोटिस की तारीख से कम से कम चौदह दिनों के दिन क्यों उक्त आपूर्ति की सूचना नहीं दी जानी चाहिए, और ऐसे दिन पूछताछ करने के बाद, डिवीजनल नहर अधिकारी यह निर्धारित करेगा कि उक्त आपूर्ति को ऐसे वाटरकोर्स के माध्यम से कैसे और किस शर्त पर दिया जाएगा।''
>
> जब ऐसा अधिकारी यह निर्धारित करता है कि पूर्वोक्त किसी भी जलमार्ग के माध्यम से नहर के पानी की आपूर्ति की जा सकती है, तो अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा पुष्टि या संशोधित किए जाने पर उसका निर्णय आवेदक और उक्त जलमार्ग के रखरखाव के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए भी बाध्यकारी होगा। ऐसा आवेदक तब तक ऐसे जलमार्ग का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह इसके माध्यम से आपूर्ति किए जाने के लिए आवश्यक ऐसे जलमार्ग के किसी भी परिवर्तन के खर्च का भुगतान नहीं करता है, और ऐसे जलमार्ग की पहली लागत का ऐसा

हिस्सा भी जो डिवीजनल या अधीक्षण नहर अधिकारी निर्धारित करे। ऐसा आवेदक ऐसे जलमार्ग के रखरखाव के अपने हिस्से के लिए भी उत्तरदायी होगा जब तक कि वह इसका उपयोग करता है।

30-A(l) इस अधिनियम में इसके विपरीत निहित किसी भी बात के होते हुए और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा वर्णित नियमों के अधीन, संभागीय नहर अधिकारी अपने प्रस्ताव या शेयरधारक के आवेदन पर, सभी या किन्हीं मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए एक मसौदा योजना तैयार कर सकता है, अर्थात्:-

(a) किसी भी जलमार्ग का निर्माण, परिवर्तन, विस्तार और संरेखण या किसी भी मौजूदा जलमार्ग का पुन: संरेखण।

(b) एक जलमार्ग द्वारा दूसरे जलमार्ग को सेवा प्रदान किए गए क्षेत्रों का पुन: आवंटन;

(c) किसी भी जलमार्ग की परत;

(cc) जलमार्ग मंजूरी से मिट्टी जमा करने के लिए भूमि का कब्जा।

(d) कोई अन्य मामला जो एक जलमार्ग से पानी की आपूर्ति के उचित रखरखाव और वितरण के लिए आवश्यक है।

(2) उपधारा (1) के तहत तैयार की गई प्रत्येक योजना, अन्य मामलों के अलावा, उसकी अनुमानित लागत, प्रस्तावित जलमार्ग का संरेखण या मौजूदा जलमार्ग का पुनर्गठन, जैसा भी मामला हो, आउटलेट की साइट, लाभान्वित होने वाले शेयरधारकों और अन्य व्यक्तियों के विवरण, जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, और योजना द्वारा कवर किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र की एक स्केच योजना निर्धारित की जाएगी।

(7) श्री गुजराल ने कहा कि नहर प्राधिकारियों के पास किसी भी नहर पर किसी भी संख्या में अतिरिक्त या नए आउटलेट बनाने या उपलब्ध कराने का अधिकार है, क्योंकि सिंचाई की अनिवार्यता के लिए आवश्यकता हो सकती है। गुजराल के अनुसार, एक बार जब कोई आउटलेट किसी योजना द्वारा या किसी अन्य आदेश के आधार पर या बिना किसी मंजूरी के प्रदान किया गया है, तो अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा उसे बंद नहीं किया जा सकता है, आकार में कम नहीं किया जा सकता है या मौजूदा साइट से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिनियम में ऐसी कार्रवाई को अधिकृत करने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। वकील ने तर्क दिया कि केवल दो संभावित प्रावधान हैं जिनके तहत इस तरह की कार्रवाई को उचित ठहराया जा सकता है और उन दो प्रावधानों, अर्थात् धारा 20 और धारा 30-ए द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र की सीमित सीमाओं के बारीकी से विश्लेषण करने पर,

ऐसा प्रतीत होता है कि उन धाराओं में से किसी को भी आउटलेट को बंद करने या स्थानांतरित करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

(8) जहां तक धारा 20 का संबंध है, यह कोई कठिनाई प्रस्तुत नहीं करती है। खंड के शुरुआती भाग में चार चीजों का प्रावधान है, अर्थात: –

1. एक नहर से पानी की आपूर्ति के लिए एक डिवीजनल नहर अधिकारी को एक आवेदन करना होगा;
2. प्रभागीय नहर अधिकारी, जिसे आवेदन दिया गया है, को यह बताना होगा कि यह समीचीन है:
   (a) कि ऐसी आपूर्ति दी जानी चाहिए, और
   (b) कि आपूर्ति किए जाने वाले पानी को किसी मौजूदा जलमार्ग के माध्यम से पहुंचाया जाना चाहिए;
3. संभागीय नहर अधिकारी संबंधित जलमार्ग के रखरखाव के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को यह बताने के लिए नोटिस देगा कि आवेदक द्वारा वांछित या डिवीजनल नहर अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर पानी की आपूर्ति क्यों नहीं की जानी चाहिए;
4. इस तरह के नोटिस की सेवा के बाद डिवीजनल नहर अधिकारी को आवेदक के दावे और उसके खिलाफ उठाई गई आपत्तियों, यदि कोई हो, की जांच करनी होती है; और फिर
5. यह निर्धारित करना कि क्या और किन शर्तों पर उक्त आपूर्ति को ऐसे जलमार्ग के माध्यम से अर्थात मौजूदा जलमार्ग के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(9) धारा 20 के प्रारंभिक भाग के उपर्युक्त विश्लेषण से पता चलता है कि आवेदक का एकमात्र दावा जिस पर उस धारा के तहत विचार किया जा सकता है, वह पानी की आपूर्ति के लिए है जिसे किसी मौजूदा जलमार्ग के माध्यम से व्यक्त किया जाना है। यह खंड एक नए वाटरकोर्स के निर्माण या आउटलेट के निर्माण, बंद या स्थानांतरण का उल्लेख नहीं करता है। शमशेर बहादुर जे. ने मनजीत सिंह और अन्य बनाम अधीक्षण इंजीनियरिंग अपर बारी दोआब सर्कल, अमृतसर[1] और अन्य (1) मामले में कहा था कि धारा 20 उन आवेदकों पर लागू होती है जो अपने खेतों को मौजूदा जलमार्ग के माध्यम से सेवा देना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा आउटलेट को बंद करने और इसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए डिवीजनल नहर अधिकारी या वास्तव में अधिनियम के तहत नियुक्त किसी अन्य प्राधिकरण में अधिकार नहीं देते हैं। नहर। विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा कि इस तरह का पाठ्यक्रम शायद उन अधिकारधारकों की सहमति से संभव है जिनके खेतों को मौजूदा आउटलेट के माध्यम से सिंचित किया जाता है। किशन सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य[2] (2), महाजन जे द्वारा यह

[1] 1964 पी.एल.आर. 495

[2] 1964 पी.एल.आर.

माना गया था कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मौजूदा आउटलेट के आकार को कम करने की अनुमति देता है, हालांकि इस आशय की कार्रवाई संभवतः अधिनियम की धारा 30-ए के तहत की जा सकती है, जिसके लिए धारा 30-बी से 30-डी में निर्धारित एक नियमित प्रक्रिया है। हालांकि मौजूदा आउटलेट को स्थानांतरित करने के फैसले पर किशन सिंह और अन्य की रिट याचिका में मूल रूप से आपत्ति भी ली गई थी, लेकिन मामले की सुनवाई के समय उक्त मामला एक मुद्दा नहीं रह गया क्योंकि राज्य द्वारा दायर रिटर्न में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आउटलेट को स्थानांतरित नहीं किया जा रहा था और केवल इसके आकार को कम किया जा रहा था। शमशेर बहादुर जे. के पास जीत सिंह और अन्य मामले से निपटने का एक और अवसर था। राज्य और अन्य[3] (3)। सदेवा वितरिका की स्थापना से एक आउटलेट का निर्माण किया गया था। छह साल बाद डिवीजनल नहर अधिकारी ने धारा 20 के तहत कार्रवाई करते हुए आउटलेट को "सिंचाई के हित में" दूसरी जगह स्थानांतरित करने का आदेश दिया। यह मंजीत सिंह के मामले में विद्वान न्यायाधीश के अपने पिछले फैसले के बाद आयोजित किया गया था कि अधिनियम की धारा 20 डिवीजनल नहर अधिकारी या वास्तव में अधिनियम के तहत नियुक्त किसी अन्य प्राधिकरण को मौजूदा आउटलेट को बंद करने और इसे नहर की दूसरी स्थिति में स्थानांतरित करने की शक्ति का निवेश नहीं करती है। न्यायाधीश द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि डिवीजनल कैनाल ऑफिसर को एक और आउटलेट खोलने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन धारा 20 का उपयोग "मौजूदा जलमार्ग को बंद करने और इसे दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने" के लिए नहीं किया जा सकता था। मौजूदा जलमार्ग को स्थानांतरित करने की शक्ति के बारे में जो कुछ भी कहा जा सकता है, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 20 द्वारा नहर प्राधिकरणों को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए मौजूदा आउटलेट को बंद या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। हम इस प्रश्न पर विद्वान एकल न्यायाधीशों के उपर्युक्त निर्णयों से पूरी तरह सहमत हैं। तदनुसार, हम मानते हैं कि धारा 20 किसी मौजूदा आउटलेट के आकार को खोलने या बंद करने या कम करने के लिए अधिकृत नहीं करती है।

(10) यह हमें अधिनियम की धारा 30-ए पर ले जाता है। इस प्रावधान के बारे में दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलों से निपटने के लिए, अधिनियम की धारा 3 की उप-धाराओं (1) और (2) में निहित "नहर" और "जलमार्ग" की वैधानिक परिभाषाओं को उद्धृत करना आवश्यक है।

1. नहर। ‘‘नहर’’ में शामिल हैं-

(a) पानी की आपूर्ति या भंडारण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित, अनुरक्षित या नियंत्रित सभी नहरों, चैनलों और जलाशयों को:

(b) सभी कार्य, तटबंध, संरचनाएं, आपूर्ति और पलायन, ऐसी नहरों, चैनलों या जलाशयों से जुड़े

[3] 1965 कुरा एल.जे. 554.

चैनल।

(c) सभी जलमार्ग, जैसा कि इस खंड के दूसरे खंड में परिभाषित किया गया है।

(d) नदी, नाले, झील या पानी के प्राकृतिक संग्रह, या प्राकृतिक जल निकासी चैनल के सभी हिस्से, जिन पर राज्य सरकार ने इस अधिनियम के भाग II के प्रावधानों को लागू किया है;

(e) इस अधिनियम की धारा 70 के प्रयोजनों के लिए एक खेत की नाली।

2. छोटी नहर। ''वाटरकोर्स'' का अर्थ है कोई भी चैनल जिसे नहर से पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन जिसका रखरखाव राज्य सरकार की कीमत पर नहीं किया जाता है, और ऐसे किसी भी चैनल से संबंधित सभी सहायक कार्य;

(11) अधिनियम के व्याख्या खंड में निहित "नहर" और "जलमार्ग" की उपर्युक्त उद्धृत परिभाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि जबकि सभी जलमार्ग नहरें हैं, प्रत्येक नहर एक जलमार्ग नहीं है, जबकि एक नहर का रखरखाव निजी व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है या राज्य सरकार की कीमत पर एक जलमार्ग का रखरखाव किया जा सकता है, जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है। केवल पानी पहुंचाने वाला ऐसा चैनल हो सकता है जो राज्य सरकार की कीमत पर नहीं रखा जाता है। "आउटलेट" को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, यह विवाद में नहीं है कि एक आउटलेट एक नहर पर निर्मित एक उपकरण है जहां से पानी की आपूर्ति एक छोटी नहर में की जाती है। एक आउटलेट का निर्माण और रखरखाव राज्य सरकार की लागत पर किया जा सकता है या नहर प्राधिकारियों की मंजूरी और अनुमोदन से उन अधिकारधारकों की कीमत पर बनाया और बनाया जा सकता है, जिनकी भूमि को जल-चैनल द्वारा खिलाया जाना है, जिसके शीर्ष पर आउटलेट प्रदान किया जाता है। अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह इंगित करता हो कि निजी व्यक्तियों की कीमत पर एक आउटलेट का रखरखाव किया जाना चाहिए। इस तरह के संकेत के अभाव में यह माना जाना चाहिए कि प्रतिवादियों के विद्वान वकील का यह कहना सही है कि धारा 3 की उप-धारा (1) में परिभाषित नहर के किसी अन्य हिस्से की तरह, एक आउटलेट का निर्माण या रखरखाव राज्य सरकार या निजी व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। एक आउटलेट को धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में "ऐसी नहरों से जुड़े सभी कार्यों, संरचनाओं, आपूर्ति और पलायन चैनलों" में शामिल किया जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खंड (ए) में होने वाले शब्द "राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित या नियंत्रित" करते हैं।

धारा 3 की उप-धारा (1) के उपर्युक्त खंड (बी) में ऐसा नहीं होता है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकालना उचित प्रतीत होता है कि किसी भी अन्य कार्य, संरचना, या आपूर्ति और पलायन चैनल की तरह एक आउटलेट का निर्माण और रखरखाव या तो राज्य सरकार या निजी व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। अधिनियम में निहित सांविधिक परिभाषाओं से उभरे इन तथ्यों के आलोक में धारा 30-क की व्याख्या की जानी है। खन्ना, जे., मुंशी राम और अन्य के एक अलिखित फैसले में। अधीक्षण अभियंता और अन्य[4] (4), (लघु नोट्स के पृष्ठ 16 पर) संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार थे। रिट-याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों की भूमि को पश्चिमी जमुना नहर, हिसार की सुंदर उप-शाखा के माली माइनर में आरडी 5210-एल में आउटलेट के माध्यम से सिंचित किया गया था। प्रतिवादियों ने संभागीय नहर अधिकारी को आउटलेट को विभाजित करने के लिए एक आवेदन दिया ताकि उन्हें अपने खेतों की सिंचाई के लिए एक नया आउटलेट प्रदान किया जा सके। रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा आवेदन का विरोध किया गया था। अपने विवादित आदेश से डिवीजनल नहर अधिकारी ने चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं के लिए एक नया आउटलेट प्रदान करके मौजूदा आउटलेट के विभाजन को मंजूरी दे दी। संभागीय नहर अधिकारी के निर्णय की पुष्टि अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा की गई थी। खन्ना के समक्ष पेश हुए वकील ने सहमति व्यक्त की कि आदेश को धारा 20 के तहत कवर नहीं किया जा सकता है। खन्ना ने हालांकि कहा कि धारा के गलत उल्लेख से आदेश रद्द नहीं हो जाएगा अगर इसे कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत उचित ठहराया जा सकता है। यह माना गया था कि चूंकि उस मामले में लागू आदेश वास्तव में पानी की आपूर्ति के समान वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नए जलमार्ग के निर्माण के लिए था, इसलिए यह ऊपर प्रस्तुत धारा 30-ए की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (डी) द्वारा कवर किया जाएगा। इसलिए, खन्ना, जे. द्वारा एक आउटलेट को एक वाटरकोर्स के एक हिस्से के रूप में माना गया था, जिसका निर्माण या परिवर्तन खंड (ए) द्वारा अधिकृत है और किसी अन्य आदेश को पारित करना, जो जलमार्ग से पानी की आपूर्ति के उचित रखरखाव और वितरण के लिए आवश्यक है, धारा 30-ए की उपधारा (1) के खंड (डी) द्वारा कवर किया गया है। इन तीनों मामलों में उठने वाले सामान्य प्रश्न के रूप में हमारे समक्ष जो सटीक प्रश्न रखा गया है, वह मेरे समक्ष पियारे लाई और अन्य बनाम पंजाब राज्य (5) की एकल पीठ में उठा[5] था । मनजीत सिंह और अन्य के मामले में शमशेर बहादुर, जे. और किशन सिंह और अन्य के मामले में शमशेर बहादुर, जे. और महाजन जे. के फैसले का उल्लेख करने के बाद, मैंने उस मामले में कहा कि धारा 30-ए की उप-धारा (1) का खंड (डी) उस उप-धारा के खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट नहीं किए गए "किसी अन्य मामले" को कवर करने के लिए पर्याप्त है, जिसे पानी की आपूर्ति के उचित रखरखाव और वितरण के लिए आवश्यक माना जा सकता है। इसलिए, पियारा लाई के मामले में यह माना गया था कि मौजूदा आउटलेट को बंद करना या खोलना या स्थानांतरित करना निश्चित रूप से उचित मामलों में पानी की आपूर्ति के उचित रखरखाव और वितरण से जुड़ा मामला होगा। इस दौरान मैंने खन्ना, जे की तरह एक आउटलेट को वाटरकोर्स के हिस्से के रूप में भी माना। जिस स्थिति में एक आउटलेट मौजूद है, वह दिखाता है कि यह आवश्यक रूप से एक या दूसरे का एक हिस्सा है या यहां

[4] 1964 के सी.डब्ल्यू. 1538 का निर्णय 30 अक्टूबर, 1964-1965 पी.एल.आर.(एस.एन.) 32 पृष्ठ 16 पर किया गया।
[5] 1966 कुर। L.J. 3

तक कि दोनों नहरों का भी एक हिस्सा है, जिसके जंक्शन पर इसका निर्माण किया गया है। यह नहर का एक हिस्सा और पार्सल है जिसमें से पानी को आउटलेट के माध्यम से छोटे चैनल में प्रवाहित करना पड़ता है, जिसके लिए भी इसे एक अभिन्न हिस्सा कहा जा सकता है। ग्रोवर, जे. के सामने मोहन सिंह और अन्य बनाम अन्य के मामले में भी यही सवाल उठा। डिवीजनल नहर अधिकारी और अन्य ([6]6), ग्रोवर, जे, (अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच की शोभा बढ़ा रहे हैं) ने कहा कि अधिनियम की धारा 30-ए को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और उप-धारा (1) के उप-खंड (डी) को जब उपधारा (2) के साथ पढ़ा जाता है, तो यह इंगित करेगा कि आउटलेट के स्थल को उस योजना द्वारा कवर किया जाना है जिसे उप-धारा (1) के तहत तैयार किया जाना है और इसलिए, यह तर्क देना व्यर्थ होगा कि उस धारा के तहत बनाई गई किसी भी योजना में आउटलेट की साइट को बदला नहीं जा सकता है। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि एक जलमार्ग के माध्यम से सिंचाई से संबंधित एक योजना उस आउटलेट को शामिल करने के लिए चीजों की प्रकृति में बाध्य है जहां से जलमार्ग को पानी प्राप्त करना है और यह स्वीकार करना मुश्किल है कि विधायिका को इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं करना चाहिए था। विद्वान न्यायाधीश ने पियारा लाई के मामले में एमवी फैसले का उल्लेख किया और अधिनियम की धारा 30-ए (एल) (डी) के दायरे के बारे में उसमें निर्धारित कानून को मंजूरी दी।

(12) अधिनियम की प्रस्तावना से पता चलता है कि इसे उत्तरी भारत में सिंचाई, नेविगेशन और जल निकासी से संबंधित कानून में संशोधन करने के लिए अधिनियमित किया गया था क्योंकि ऐसा करना समीचीन माना गया था ताकि सरकार प्राकृतिक चैनलों में बहने वाली सभी नदियों और धाराओं और सभी झीलों और स्थिर जल के अन्य प्राकृतिक संग्रहों के पानी का सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग और नियंत्रण कर सके। इस बात से संभवतः इनकार नहीं किया जा सकता है कि अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा यदि क़ानून के तहत अधिकारी जलमार्गों सहित नहरों में दुकानों को बंद करने, स्थानांतरित करने या खोलने के हकदार नहीं हैं। फिर भी, यदि अधिनियम के किसी उपबंध की सीधी भाषा में ऐसा कहा जाए तो हम ऐसा करने के लिए बाध्य होंगे। हालांकि, दोनों पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि अधिनियम में आउटलेट को बंद करने या स्थानांतरित करने के खिलाफ कोई स्पष्ट या निहित निषेध नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि अधिनियम में किसी आउटलेट को बंद करने या स्थानांतरित करने को अधिकृत करने वाला कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, और अधिनियम के तहत अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र उसके प्रावधानों द्वारा सीमित है, कोई भी डिवीजनल नहर अधिकारी आउटलेट को बंद करने या स्थानांतरित करने के अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकता है क्योंकि यह उसके पास निहित नहीं है। यह तर्क गलत प्रतीत होता है। यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि किसी अधिनियम में किसी भी प्रावधान का निर्माण करते समय, सामंजस्यपूर्ण निर्माण को अपनाने और बेतुकेपन और विसंगतियों से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए न्यायालय किसी अधिनियम की किसी विशेष धारा में सजा की संरचना को बदलने की सीमा तक जा सकता है। यदि धारा 30-ए की उप-धारा

[6] आई.एल.आर. (1967) 2 पुंज। & हाय। 488=1967 पी.एल.आर. 204.

(1) को याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रचारित तरीके से माना जाता है, तो यह माना जाना चाहिए कि नहर प्राधिकरण एक जलमार्ग को अपनी पिछली स्थिति से पूरी तरह से स्थानांतरित कर सकते हैं ताकि इसे खत्म और बंद किया जा सके, और एक नया आउटलेट खोलकर नहर के तटबंध से एक नया जलमार्ग खोला जा सके। लेकिन पिछले आउटलेट को बरकरार रखा जाना चाहिए, हालांकि यह व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए बिल्कुल बेकार होगा क्योंकि कोई भी वाटरकोर्स अस्तित्व में नहीं होगा जिसे पिछला आउटलेट खिला सकता है। इसी तरह, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित व्याख्या नहर अधिकारियों को एक आउटलेट को बंद करने से अक्षम कर देगी, जिसका निर्माण अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किसी गलतफहमी या एक अलग स्थान पर एक नया आउटलेट खोलने के आदेश के गलत निर्माण के कारण किया जा सकता है। इसी प्रकार, यह स्वीकार किया जाता है कि धारा 30-ए की उप-धारा (1) के खंड (बी) के संचालन से, अधिनियम के तहत अधिकारियों के पास पूरे क्षेत्र को एक नए जलमार्ग में बदलने का अधिकार है, जो मौजूदा जलमार्ग द्वारा सेवा की गई थी, इस प्रकार पिछले जलमार्ग द्वारा सेवा करने के लिए कोई भूमि नहीं छोड़ी जाती है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ऐसी परिस्थितियों में पिछले सभी वाटरकोर्स को बंद किया जा सकता है, लेकिन आउटलेट को बरकरार रखा जाना चाहिए। यह उचित प्रतीत होता है कि धारा 30-ए की उप-धारा (1) का निर्माण करते समय यदि संभव हो तो ऐसी विसंगतियों और बेतुकेपन से बचा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि धारा 30-ए की उप-धारा (1) के खंड (ए) में "किसी भी जलमार्ग के निर्माण" में एक नए आउटलेट का निर्माण शामिल है जहां से वाटरकोर्स को खिलाया जाना है। यदि ऐसा है, तो उसी खंड में "किसी भी जलमार्ग का परिवर्तन" संभवतः वाटरकोर्स को एक नई स्थिति में स्थानांतरित करने की परिकल्पना करेगा, जिसमें इसके आउटलेट भी शामिल हैं। इसके अलावा, यह स्वीकार किया जाता है, और सही भी, कि धारा 30-ए (1) के खंड (डी) में "वाटरकोर्स" शब्द में उस धारा के तहत तैयार की गई योजना में प्रस्तावित एक नया वाटरकोर्स शामिल है। ऐसा होने के नाते, इसमें आवश्यक रूप से एक नया आउटलेट शामिल होगा। इसी प्रकार, मौजूदा जलमार्ग को शामिल करने के लिए खंड (घ) में जलमार्ग का निर्माण करने में कोई प्रतिकूलता नहीं है। यहां भी, वाटरकोर्स में वह आउटलेट शामिल होगा जहां से इसे खिलाया जाता है और साथ ही वाटरकोर्स पर आउटलेट जहां से आगे के चैनल या वितरिकाएं निकलती हैं। इस तथ्य का खंडन करना संभव नहीं है कि एक नए जलमार्ग से पानी की आपूर्ति का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए, एक पुराने वाटरकोर्स या मौजूदा आउटलेट को बंद करना या इसके आकार को कम करना या इसे स्थानांतरित करना आवश्यक हो सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिनियम द्वारा अनुमति नहीं देने के लिए जो कहा गया है, वह धारा 30-ए की उपधारा (1) के खंड (डी) द्वारा स्पष्ट रूप से परिकल्पित प्रतीत होता है। यह विशेष रूप से स्पष्ट हो गया है जब धारा की उप-धारा (2) को उपधारा (1) के खंड (डी) के साथ पढ़ा जाता है। उप-धारा (2) में यह अपेक्षा की गई है कि उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई प्रत्येक योजना, अन्य मामलों के साथ-साथ, मौजूदा जलमार्ग के संभावित पुनर्गठन के साथ-साथ आउटलेट के स्थल का निर्धारण करेगी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक योजना मौजूदा जलमार्ग के पुनर्गठन के लिए प्रावधान कर सकती है और ऐसी योजना में आउटलेट की साइट को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इसमें आवश्यक रूप से आउटलेट की साइट, या मौजूदा वाटरकोर्स पर आउटलेट के साथ-साथ पुनर्संरेखण के प्रस्तावित स्थल पर

वाटरकोर्स पर आउटलेट या आउटलेट की साइट शामिल होगी। यह सवाल पूछना कि क्या इसका मतलब मौजूदा आउटलेट को बंद करने या स्थानांतरित करने को अधिकृत करना है या नहीं, सवाल का जवाब देना है। इसलिए, हम मोहन सिंह के मामले में ग्रोवर, जे. के फैसले से पूरी तरह सहमत हैं कि किसी आउटलेट को खोलने, बंद करने या स्थानांतरित करने या आकार में कमी करने की परिकल्पना अधिनियम की धारा 30-ए की उपधारा (1) के खंड (ए) और (डी) द्वारा स्पष्ट रूप से की गई है और हम तदनुसार मानते हैं।

(13) याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुख्य विवाद पर हमने विचार किया है, हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता के दो अन्य तर्कों से निपटना आवश्यक नहीं है, लेकिन उनके प्रति निष्पक्षता हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। उनका पहला तर्क यह था कि भले ही याचिकाकर्ताओं की दलील को सही माना जाता है, लेकिन किसी आउटलेट को बंद करने या स्थानांतरित करने में सरकार की कार्रवाई को चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि माना जाता है कि इस तरह की कार्रवाई के लिए अधिनियम में कोई निषेध नहीं है, सरकार संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा पाठ्यक्रम अपनाने की हकदार होगी। अनुच्छेद 162 में प्रावधान है कि किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद के परंतुक में निदेश दिया गया है कि किसी ऐसे विषय में जिसके संबंध में किसी राज्य के विधान-मंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा संघ या उसके प्राधिकारियों को स्पष्ट रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और सीमित होगी। विधायी शक्तियों का वितरण संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 द्वारा निर्धारित किया गया है। राज्य विधानमंडल सातवीं अनुसूची (जिसे "राज्य सूची" के रूप में संदर्भित किया गया है) की सूची II में प्रगणित किसी भी विषय के साथ-साथ "समवर्ती सूची" में प्रगणित विषयों के संबंध में राज्य के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का हकदार है, अर्थात संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची III अनुच्छेद 246 में उल्लिखित कुछ आरक्षणों के अध्यधीन। सूची II में, आइटम 17 राज्य विधानमंडल को "जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरों, जल निकासी और तटबंधों, जल भंडारण और जल शक्ति के संबंध में कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है जो सूची 1 की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन है"। सूची I (संघ सूची) की प्रविष्टि 56 अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास से संबंधित है, जिस सीमा तक संघ के नियंत्रण में ऐसे विनियमन और विकास को संसद द्वारा कानून द्वारा जनहित में समीचीन घोषित किया जाता है। अत, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य विधानमंडल के पास संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची एन के मद 17 के अंतर्गत जल आपूत, सिंचाई और नहरों के संबंध में कानून बनाने की शक्तियां हैं। ऐसा होने पर, यह समान रूप से योजना है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरों के मामले तक फैली हुई है और उन विषयों से संबंधित पूरे क्षेत्र में संविधान द्वारा प्रदान की गई तरीके से प्रयोग की जा सकती है जो संसदीय विधान या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियमन द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। इस आधार पर हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि न्यायालय पाता है कि नहर पर आउटलेट के आकार में कमी, बंद करने और स्थानांतरित करने का मामला एक ऐसा

विषय है जिस पर विचार नहीं किया जाता है। अधिनियम के किसी भी प्रावधान के साथ, राज्य तब एक आउटलेट के आकार को कम कर सकता है या इसे बंद कर सकता है या अनुच्छेद 162 के तहत अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे स्थानांतरित कर सकता है, निश्चित रूप से उस क्षेत्र को कवर करने वाला कोई संसदीय कानून नहीं है। इस आशय के हमारे निष्कर्ष को देखते हुए कि अधिनियम स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से नहर पर एक आउटलेट के आकार को बंद करने, स्थानांतरित करने या कम करने का प्रावधान करता है, विद्वान महाधिवक्ता के इस विवाद से आगे निपटना अनावश्यक है। हालांकि, मेरी राय है कि अगर मैंने पाया होता कि अधिनियम में किसी आउटलेट को स्थानांतरित करने या बंद करने के लिए अधिकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है, तो मैं मानता कि श्री आनंद सरूप के तर्क में तर्क है और राज्य अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक आउटलेट को स्थानांतरित या बंद कर सकता है। उस स्थिति में भी, वर्तमान मामले में आक्षेपित आदेश को बचाना संभव नहीं हो सकता है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 166 के प्रावधानों द्वारा किया जाना है क्योंकि कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित आदेशों को राज्यपाल के नाम पर लिया जाना चाहिए और इस तरह से प्रमाणित किया जाना चाहिए। राज्यपाल द्वारा बनाए गए प्रासंगिक नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित संविधान के अनुच्छेद 154 द्वारा है और इसका उपयोग अनुच्छेद 166 में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा सीधे या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जा सकता है। आक्षेपित आदेश प्रथम दृष्टया राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित नहीं किए गए प्रतीत होते हैं और चूंकि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 154 और अनुच्छेद 166 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया था, इसलिए यदि मैंने श्री गुजराल द्वारा उठाए गए पहले मुख्य बिंदु पर राज्य के खिलाफ पाया होता तो वे मेरे द्वारा कायम नहीं होते।

(14) दूसरी बाधा जो मुख्य बिंदु पर उनकी सफलता के मामले में भी याचिकाकर्ताओं के रास्ते में खड़े होने का सुझाव दिया गया था, वह यह थी कि अधिनियम की धारा 32 (एफ) के प्रावधानों को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं को किसी विशेष आउटलेट से नहर के पानी का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है और कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्रवाई का कोई कारण नहीं है। अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (च) में यह प्रावधान है कि नहर के पानी के उपयोग का कोई अधिकार भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1871, भाग IV के तहत अधिग्रहित नहीं माना जाएगा और न ही राज्य सरकार लिखित में अनुबंध की शर्तों के अनुसार किसी व्यक्ति को पानी की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगी। तर्क यह था कि याचिकाकर्ताओं का दावा लिखित अनुबंध की शर्तों पर आधारित नहीं है, राज्य सरकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं की पसंद के आउटलेट से उन्हें पानी की आपूर्ति करने के लिए बाध्य किया गया है। जैसा कि पहले ही कहा गया है, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुख्य प्रश्न पर हमारी खोज को देखते हुए इस तर्क से निपटना अनावश्यक है। कुंदन लाई के मामले में 1966 के सीडब्ल्यू 466 में कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया है।

(15) 1967 के सीडब्ल्यू 1733 में - कान्ही राम और अन्य बनाम अधीक्षण अभियंता और अन्य - याचिकाकर्ताओं द्वारा आग्रह किया गया मुख्य बिंदु पहले से बताए गए कारणों से विफल हो जाता है, हालांकि उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क देने की मांग की गई थी कि उक्त बिंदु सीधे इस मामले में उत्पन्न नहीं होता है। कान्ही राम के मामले में जो हुआ वह यही था। मामले में 20 रिट याचिकाकर्ता गांव नाथूसरी कलां, तहसील सिरसा, जिला हिसार के निवासी हैं। गांव की सिंचाई आउटलेट नंबर 10 से की जाती थी। कुटियन वितरिका में आर.डी. 38000/लीटर। गांव हंजीरा, रामपुरा ढिल्लन और गिगोरानी की सिंचाई भी इसी आउटलेट से की जाती थी। गिगोरानी गांव के कुछ निवासियों ने 1964 में उपरोक्त आउटलेट को आर.डी. 38900/एल पर एक बिंदु पर स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन किया। यह 30 अक्टूबर, 1964 को हिसार के अधीक्षण नहर अधिकारी के आदेश के तहत किया गया था (अनुबंध 'ए' और 'ए/एल')। रिट याचिकाकर्ता कान्ही राम और अन्य ने उक्त आदेश से व्यथित महसूस किया और इसके खिलाफ अपील करना पसंद किया। 17 मई, 1967 के आदेश (अनुबंध 'बी') द्वारा अधीक्षण नहर अधिकारी, भाखड़ा नहर, हिसार ने याचिकाकर्ताओं की अपील को दो आधारों पर खारिज कर दिया, अर्थात्:-

(i) आउटलेट पहले आर.डी. 38000/एल पर था और 1964 में इसे आर.डी., 38900/एल में स्थानांतरित कर दिया गया था और स्थानांतरण के बाद सिंचाई में भी सुधार हुआ था; और

(ii) 1963 के सीडब्ल्यू 1486 में उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, आउटलेट को तब तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है जब तक कि सभी शेयरधारक सहमत न हों।

(16) यह याचिकाकर्ताओं की अपील को खारिज करने वाले उपरोक्त आदेश के खिलाफ है कि 1967 का सीडब्ल्यू 1733 दायर किया गया था। वास्तव में 30 अक्टूबर, 1964 के आदेश (अनुबंध 'ए') के अनुसरण में आउटलेट को आरडी 38900/एल पर उसके वर्तमान स्थल पर स्थानांतरित करने पर सवाल उठाया गया है। यह इस आधार पर था कि विद्वान महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता धोखाधड़ी के दोषी थे। पहले से ही निपटाए गए मुख्य प्रश्न के अलावा, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि आउटलेट को स्थानांतरित करने के लिए अधिनियम की धारा 30-ए से 30-एफ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और यह स्थानांतरण अधिनियम की धारा 20 के तहत निहित कथित शक्तियों का उपयोग करके किया गया है। नीचे किस प्रावधान को स्थानांतरित नहीं किया जा सका? रिट याचिका में उन आरोपों के जवाब में, हिसार के अधीक्षण नहर अधिकारी श्री एसपी मल्होत्रा के हलफनामे में कहा गया है कि स्थानांतरण इसके उचित कामकाज के लिए वाटरकोर्स के शेयरधारकों के आवेदन पर किया गया है और अक्टूबर 1964 में आदेश पारित करने के समय याचिकाकर्ताओं से कोई अभ्यावेदन या याचिका प्राप्त नहीं हुई थी। 24 मार्च, 1966 को (रिटर्न के पैराग्राफ 4 के तहत) याचिकाकर्ताओं ने आउटलेट को उसकी मूल स्थिति में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया। यह याचिकाकर्ताओं का पुन: स्थानांतरण का आवेदन था जिसे 20 जनवरी, 1967 को डिवीजनल नहर अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं

की अपील 17 मई, 1967 को खारिज कर दी गई थी। राज्य की वापसी के पैराग्राफ 5 में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिनियम की धारा 30-ए से एफ के तहत मामले से निपटने के बाद अक्टूबर 1964 में स्थानांतरण किया गया था। रिट याचिका के पैरा 5 में लगाए गए आरोपों के जवाब में, अधीक्षण नहर अधिकारी ने अपनी रिटर्न में निम्नानुसार गवाही दी है: –

> "इससे पहले आउटलेट को आरडी 3800-एल कुटियाना वितरिका से 38900-एल में स्थानांतरित करने का कार्य अक्तूबर, 1964 के दौरान किया गया था जब किसी भी शेयरधारक से कोई आपत्ति या अपील प्राप्त नहीं हुई थी, इस प्रकार 29 सितंबर, 1966 को (दो वर्ष की अवधि के बाद) याचिकाकर्ताओं की अपील समयबद्ध थी। हालांकि, नहर और जल निकासी अधिनियम, 1873 की धारा 30-ए से एफ के तहत सभी औपचारिकताओं को देखने के बाद 20 जनवरी, 1967 को डिवीजनल नहर अधिकारी द्वारा मामले की फिर से जांच की गई और खारिज कर दिया गया।

(17) ऐसा प्रतीत होता है कि रिट याचिका को इसमें उठाए गए मुख्य बिंदु के कारण स्वीकार कर लिया गया है। यह 25 अगस्त, 1967 के मोशन बेंच के आदेश से स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है: "श्री पीसी जैन का कहना है कि 1966 के सीडब्ल्यू 466 (कुंदन लाई बनाम डिवीजनल कैनाल ऑफिसर) में भी इसी तरह का मुद्दा उठाया गया है। स्वीकार किया। मोशन बेंच के उपरोक्त उद्धृत आदेश से पता चलता है कि रिट याचिका को अगस्त में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। 1967, लेकिन ऊपर उल्लिखित सामान्य बिंदु के लिए। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील कर सकते हैं। इसके अलावा केवल यह तर्क दिया जाता है कि 1964 में पिछले आदेश को पारित करते समय, निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। न केवल यह याचिका बहुत देर से दायर की गई है, बल्कि हमारी राय में यह याचिका इस मामले में आग्रह किए जाने की अनुमति नहीं देती है क्योंकि प्रतिवादियों का कहना है कि अधिनियम के उन प्रावधानों द्वारा आवश्यक प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया था। इसलिए यह रिट याचिका भी विफल होनी चाहिए।

(18) यह हमें सूरत1सिंह और अन्य बनाम सूरत के मामले में ले जाता है। 1967 का हरियाणा राज्य और अन्य सी.डब्ल्यू. इस मामले में दस रिट याचिकाकर्ता गांव दुर्जन पुर, तहसील नरवाना, जिला जींद में रहते हैं और उनके पास जमीन है। याचिकाकर्ताओं (रिट याचिका के पैराग्राफ 2) द्वारा कहा गया है और राज्य द्वारा अपनी वापसी में स्वीकार किया गया है कि सुरबरा वितरिका के आउटलेट नंबर 28500-एल से रिट याचिका दायर करने से पहले दुर्जन पुर गांव में सभी याचिकाकर्ताओं की पूरी भूमि लगभग 15 वर्षों से सिंचित की जा रही थी। दुर्जन पुर की भूमि गांव हसन गढ़ और गांव लतानी की भूमि के साथ एक तिराहा बनाती है। लतानी और दुर्जन पुर की भूमि के बीच एक सामान्य सीमा है। हसन गढ़ और लतानी गांवों की भूमि को एक आम आउटलेट द्वारा बिंदु आरडी 29500-आर पर सेवा प्रदान की जाती थी। यह रिट याचिका के पैराग्राफ 5 में कहा गया है और अधीक्षण नहर अधिकारी, भाखड़ा नहर सर्कल, हिसार के हलफनामे के संबंधित पैराग्राफ में स्वीकार किया गया है। आउटलेट आरडी 2,9500-आर से अपनी-अपनी भूमि की सिंचाई के संबंध में दोनों गांवों (एक तरफ

हसन गढ़ और दूसरी तरफ लतानी) के निवासियों के बीच काफी तनाव था। गांव हसन गढ़ के निवासियों (जिनके साथ और जिनके हितों से हम इस रिट याचिका में चिंतित नहीं हैं) ने लतानी भूमि को किसी अन्य आउटलेट में स्थानांतरित करने के लिए नहर अधिकारियों को आवेदन दिया। उनका आवेदन हिसार के फतेहाबाद मंडल के संभागीय नहर अधिकारी के समक्ष आया। उक्त अधिकारी ने 8 अप्रैल, 1966 के अपने आदेश (अनुबंध 'ए') द्वारा कहा कि यदि लतानी गांव के क्षेत्र (99 एकड़ कृषि योग्य कमांड क्षेत्र) को उसी आउटलेट में शामिल किया जाता है तो शांति भंग होने की वास्तविक आशंका होगी। संभागीय नहर अधिकारी के आदेश में कहा गया है कि आउटलेट नंबर 10 के शेयरधारकों को आर.डी. 2.760/एल गांव दुर्जन पुर और गांव लतानी का था और उक्त आउटलेट द्वारा खिलाए गए क्षेत्र का वह बड़ा हिस्सा (592 एकड़ कृषि योग्य कमांड क्षेत्र) दुर्जन पुर गांव का था। संभागीय नहर अधिकारी दुर्जन पुर के निवासियों के तर्क से सहमत थे कि वे किसी भी कीमत पर गांव लतानी के 99 एकड़ को एक ही आउटलेट में शामिल करने के लिए सहमत नहीं थे। इसलिए, उन्होंने निर्देश दिया कि लतानी गांव के उक्त क्षेत्र को एक साइफन के माध्यम से आरडी 29500-आर पर आउटलेट में शामिल किया जा सकता है क्योंकि ग्रामीण उस क्षेत्र के लिए एक अलग आउटलेट नहीं चाहते थे, हालांकि वे साइफन के निर्माण के लिए भी सहमत नहीं थे। तब यह निर्देशित किया गया था:

> ''इसलिए, एकमात्र व्यावहारिक समाधान यह है कि इस क्षेत्र को साइफन के माध्यम से आउटलेट आरडी 29500-आर पर शामिल किया जाए। आउटलेट आरडी 29500-आर लतानी गांव की जमीन को शामिल करें (जारी रखने के लिए)।''

(19) लतानी गांव के निवासी संभागीय नहर अधिकारी उत्तरदाता संख्या 5 के आदेश से सहमत नहीं थे, जो उस गांव के निवासी हैं, जिन्होंने 8 अप्रैल, 1966 (अनुबंध 'ए') के आदेश में संशोधन के लिए अधीक्षण नहर अधिकारी को आवेदन किया था। अंतिम उल्लिखित अधिकारी ने 21 जून, 1966 के अपने आदेश (अनुलग्नक 'बी' में कहा था कि साइफन के माध्यम से सिंचाई का सहारा केवल असाधारण मामलों में ही लिया जा सकता है और चूंकि दुर्जन पुर गांव के चक में केवल 675 एकड़ का कृषि योग्य क्षेत्र था जो बहुत बड़ा चक नहीं था, इसलिए वितरिका के बाईं ओर लतानी गांव के क्षेत्र को आउटलेट आरडी 28760-एल से सिंचित किया जाना चाहिए। उक्त अपीलीय आदेश का परिणाम यह था कि आउटलेट आरडी 28760-एल याचिकाकर्ताओं की भूमि के साथ-साथ उत्तरदाता संख्या 5 सहित गांव लतानी के निवासियों की कुछ भूमि को खिलाना था। इस स्तर तक इस मामले में किसी भी आउटलेट को स्थानांतरित करने का कोई सवाल नहीं उठता था और जो कुछ भी तय किया जा रहा था वह यह था कि क्या कृषि योग्य भूमि के कुछ क्षेत्रों को एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट में स्थानांतरित करना आवश्यक था या नहीं। हालांकि, बाद में जो हुआ वह यह था कि दुर्जन पुर के ग्रामीणों द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर, अधीक्षण नहर अधिकारी ने 14 अप्रैल, 1967 के अपने बाद के आदेश (अनुबंध 'सी') द्वारा कहा कि वह संतुष्ट थे कि आउटलेट 28760-एल पर दुर्जन पुर और लतानी गांवों की सीमा पर स्थित होना चाहिए और "यदि कोई थोड़ा बदलाव है" तो उनके आदेश थे कि "आउटलेट गांव में तय किया जाना चाहिए। सीमा ताकि दुर्जन पुर गांव के चक और बाईं ओर स्थित लतानी के क्षेत्र की सिंचाई इस स्रोत से की जा सके। यद्यपि

अधीक्षण नहर अधिकारी ने अपने आदेश के अंतिम वाक्य (अनुबंध 'सी') में दुर्जन पुर के ग्रामीणों के आवेदन को खारिज कर दिया, लेकिन यदि आवश्यक हो, तो आउटलेट को स्थानांतरित करने के लिए ऊपर उद्धृत निर्देश दिया, ताकि यह आवश्यक रूप से वहीं न रहे जहां यह था, लेकिन बिंदु आरडी 28760-एल पर मौजूद होना सुनिश्चित किया जाएगा। गांव के निवासी; दुर्जन पुर आदेश (अनुलग्नक 'ए') से संतुष्ट थे, लेकिन अधीक्षण नहर अधिकारी के दोनों आदेशों से असंतुष्ट थे और इसलिए, इसे रद्द करने के लिए यह रिट याचिका दायर की (अनुलग्नक 'बी' और 'सी')। रिट याचिका में उल्लिखित और हमारे सामने आग्रह किया गया पहला बिंदु यह था कि नहर अधिकारी मौजूदा आउटलेट को स्थानांतरित करने का निर्देश नहीं दे सकते थे। हम मुख्य मामले में पहले ही कह चुके हैं कि इस विवाद में कोई बल नहीं है।

(20) न ही इस मामले में श्री सुरिंदर सरूप, अधिवक्ता द्वारा इस आशय के अतिरिक्त बिंदु में कोई बल है कि अधीक्षण नहर अधिकारी का दूसरा आदेश (अनुबंध 'सी') अधिकार क्षेत्र के बिना था क्योंकि उनके पास अपने पहले के आदेश की समीक्षा करने की कोई शक्ति नहीं थी। अधीक्षण नहर अधिकारी ने केवल अपने पिछले आदेश (अनुबंध 'बी') की समीक्षा के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदन को खारिज कर दिया। यदि आवश्यक हो तो आउटलेट को स्थानांतरित करने का निर्देश, उनके पहले के आदेश के निष्पादन के लिए एक कदम था, जिसमें गांव दुर्जन पुर के निवासियों के साथ-साथ चुनाव करने वाले उत्तरदाता (उत्तरदाता नंबर 5) और गांव लतानिल के अन्य संबंधित निवासियों को बिंदु आरडी 28760-एल पर एक ही आउटलेट पर रखा गया था। उनके आदेश (अनुबंध 'बी') में उनके द्वारा पहले से निर्देशित स्थान पर नहीं होने पर आउटलेट को स्थानांतरित करने का अतिरिक्त निर्देश देना हमारी राय में उनके पहले के आदेश की समीक्षा करने के बराबर नहीं है।

(21) श्री सुरिंदर सरूप ने तब प्रस्तुत किया कि 8 अप्रैल, 1966 (अनुबंध 'ए') के डिवीजनल नहर अधिकारी के आदेश को रद्द करने या संशोधित करने के लिए अधीक्षण नहर अधिकारी को उत्तरदाता संख्या 5 और अन्य का आवेदन सक्षम नहीं था और इसलिए, आदेश अनुबंध 'बी' पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर था। यह निवेदन अधिनियम की धारा 30-बी (3) की भाषा पर आधारित था। चूंकि उत्तरदाता संख्या 5 के विद्वान वकील द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि जिस आवेदन पर अनुबंध 'बी' में आदेश पारित किया गया था, वह उस प्रावधान के तहत उत्तरदाता नंबर 5 और अन्य द्वारा किया गया था, इसलिए धारा 30-बी की उप-धारा (3) को नोटिस करना आवश्यक है। इसमें लिखा है:

> ''अधीक्षण नहर अधिकारी, धारा 30-ग के तहत योजना के विवरण के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अनुमोदित योजना से पीड़ित किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय या किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर स्वत: संज्ञान लेते हुए, संभागीय नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना को संशोधित कर सकता है: ..... ''

(22) तर्क यह है कि डिवीजनल नहर अधिकारी ने लताही भूमि को आम, आउटलेट से स्थानांतरित करने की योजना को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन अनुबंध 'ए' में अपने आदेश में साइफन बनाने के लिए एक नया प्रावधान

बनाया था और चूंकि अधीक्षण नहर अधिकारी ने स्वत: संज्ञान नहीं लिया था और लतानी ग्रामीणों के आवेदन पर कार्रवाई की थी। उसके पास उपर्युक्त प्रावधान के तहत कार्रवाई करने का अधिकार केवल तभी हो सकता है जब उसके समक्ष अपील के तहत आदेश (अनुबंध 'ए') ने योजना को मंजूरी दे दी हो। इस मामले में, यह स्वीकार किया जाता है, कि योजना विविध थी।

(23) ढिल्लों ने उत्तरदाता संख्या 5 के वकील जी.पी.एस.ढिल्लों द्वारा इस बिंदु पर बहस करने की अनुमति दिए जाने के खिलाफ एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि रिट याचिका में इस बिंदु को नहीं लिया गया था, जबकि इसका उल्लेख प्रतिकृति में किया गया है। श्री सुरिंदर सरूप ने ए सेंट अरुणाचलम पिल्लई बनाम मैसर्स सदर्न रोडवेज लिमिटेड मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए इस विवाद को खारिज कर दिया। और एक और[7] (7), जिसमें यह आयोजित किया गया था:

> "कुछ आदेशों को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में, उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता को एक याचिका का आग्रह करने की अनुमति देने में सही कार्य करता है जो मामले की जड़ तक जाता है और रिट याचिका दायर करने के बाद से उच्च न्यायालय के खंडपीठ के फैसले पर आधारित है। हालांकि याचिकाकर्ता ने प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत किया था, जिसके अधिकार क्षेत्र पर नई याचिका द्वारा सवाल उठाया जा रहा था और अनुच्छेद 226 के तहत अपनी याचिका में आपत्ति नहीं ली थी।

(24) तर्क यह था कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान ही इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा रिसाल सिंह और अन्य बनाम अन्य मामले में इसे निर्धारित किया गया था। हरियाणा राज्य और अन्य (8) और [8] राम रिख बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (9) में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश[9] द्वारा , अधिनियम की धारा 30-बी की उप-धारा (3) अधीक्षण नहर अधिकारी को "अनुमोदित योजना द्वारा" पीड़ित किसी भी व्यक्ति के आवेदन में हस्तक्षेप करने और "डिवीजनल नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना को संशोधित करने" की शक्ति देती है। उन मामलों में यह भी कहा गया कि अधीक्षण नहर अधिकारी का अधिकार क्षेत्र उस योजना को संशोधित करना है जिसे संभागीय नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और अधिनियम की धारा 30-बी (3) के तहत कोई भी आवेदन किसी योजना को पूरी तरह से अस्वीकार करने के खिलाफ नहीं है। इसे फिर से श्री-ला श्री स्मब्रमनिया देसिका घनासमबंदा पंडारसनिदी बनाम सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप के फैसले के अधिकार पर प्रस्तुत किया गया है। मद्रास राज्य और अन्य (10), कि एक याचिका को रिट याचिका में नहीं उठाया गया है, [10] लेकिन विशेष रूप से हलफनामे-इन-रिजॉइनर में लिया गया है, जिसके जवाब में उत्तरदाता के

[7] ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 1191.

[8] 1967 के सीडब्ल्यू 537 पर 8 अप्रैल, 1968 को फैसला किया गया

[9] 1968 कर। एल.जे. 356

[10] ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 1578.

पास पूर्ण नोटिस है, को इस आधार पर विचार से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रिट याचिका में पहली बार याचिका नहीं उठाई गई थी। श्री सुरिंदर सरूप द्वारा संदर्भित अधिकारियों को देखते हुए, हमें श्री ढिल्लों की प्रारंभिक आपत्ति में कोई बल नहीं मिलता है और तदनुसार इसे अस्वीकार करते हैं।

(25) तथापि, इस मुद्दे के गुण-दोष के आधार पर हमें श्री सुरिंदर सरूप के तर्क में कोई बल नहीं मिलता है। धारा 30-ख की उप-धारा (1) के तहत किसी योजना के प्रकाशित होने और उसके विरुद्ध आपत्तियों पर विचार किए जाने के बाद, प्रभागीय नहर अधिकारी को उस धारा की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह या तो उस योजना को उसी रूप में अनुमोदित कर सकता है जैसा कि वह मूल रूप से तैयार किया गया था या ऐसे संशोधित रूप में जिसे वह उचित समझे" ताकि कुछ संशोधनों के अधीन अनुमोदित प्रस्तावित योजना उपधारा (3) के अर्थ के भीतर अनुमोदित योजना के रूप में अच्छी हो। धारा 30-बी एक योजना के रूप में बिना किसी संशोधन के अनुमोदित है। जिन मामलों पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भरोसा किया, उनमें योजना को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। हाथ में मामले में, स्थिति अलग है। इस योजना को संभागीय नहर अधिकारी द्वारा संशोधित रूप में अनुमोदित किया गया था। हम यह मानते हैं कि यद्यपि किसी योजना की पूर्ण अस्वीकृति के खिलाफ कोई भी आवेदन धारा 30-बी की उप-धारा (3) के तहत नहीं होगा, लेकिन किसी भी संशोधन के अधीन किसी योजना को मंजूरी देने वाले आदेश से असंतुष्ट पक्ष को उस प्रावधान के तहत उपयुक्त नहर प्राधिकरण में जाने का अधिकार है। अदालत में कोई अन्य बिंदु पेश नहीं किया गया था, लेकिन विद्वान उप-न्यायाधीश ने माना कि इस मामले में बहस की गई है, तीसरी रिट याचिका भी विफल होनी चाहिए।

(26) पूर्वगामी कारणों से हम इन सभी तीन रिट याचिकाओं को खारिज करते हैं, हालांकि उनमें से किसी में भी लागत के लिए कोई आदेश दिए बिना।

आर.एन.एम.

रिविजनल सिविल

मुख्य न्यायमूर्ति मेहर सिंह और न्यायमूर्ति बाल राज तुली, के समक्ष

भारत संघ और अन्य, याचिकाकर्ता

बनाम

ओम प्रकाश गुप्ता, उत्तरदाता

1968 का सिविल संशोधन संख्या 426

26 अगस्त, 1968

साक्ष्य अधिनियम (1872 का I) - धारा 121 से 131 - एक विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज़ की सामग्री - चाहे प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य के किसी भी तरीके से साबित किया जा सकता है - धारा 129 - अभिव्यक्ति "कोई नहीं" - एक ग्राहक की व्याख्या - एक ग्राहक अपने कानूनी पत्र का पत्र दिखाता है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रवि अमितोज़
प्रशिक्षु न्यायिक
अधिकारी